के पूर्व . . .

22/12/22 पत्रावली पेश। अधिवक्ता पसमारान उप. वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिलेख। दावी ने बताया कि ग्राम बांट तहसील रेवदर में देला वल्द गणाजी एवं जोधा, जगमाल व वना पिसरान आनाजी जाति-कलबी निवासियान बांट के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख. संख्या 203 रकबा 6 बीघा 04 बिस्वा एवं ख. सं. 203 रकबा 14 बीघा 02 बिस्वा आई हुई है, जिसमे दावी छठे हिस्से का

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अह... जो इस हुक्म की ता... जारी हुये
	खातेदार कृषक है एवं उक्त छठे हिस्से की कथित भूमि को जगमाल व जोधा के उत्तराधिकारियों ने पंजिकृत विक्रय लेख दिनांक 29.11.2017 व दिनांक 14.12.2017 के जरिए अप्रार्थीगण को विक्रय किया है। प्रार्थी संवत 2014 से 2033 की खतौनी में विवादित भूमि के रेकॉर्डेड खातेदार कृषक है एवं उसमें दर्ज खातेदार हक अनुसार प्रार्थी छठे हिस्से का खातेदार कब्जेदार कृषक है। वादी का नाम संवत 2033 से 2036 की जमाबंदी में हटा दिए जाने के कारण जगमाल व स्वर्गीय जोधा के उत्तराधिकारियों ने प्रार्थी के हक को नकारते हुए प्रार्थी का छठा खातेदारी हक हिस्सा भी विक्रय कर दिया जिससे उक्त दोनों विक्रय लेख प्रार्थी के छठे हिस्से के खातेदारी हक के हद तक प्रार्थी के विरूद्ध प्रभावहीन व शून्य है एवं प्रार्थी के उक्त हिस्से की भूमि में अप्रार्थीगण को प्रवेश करने, खेती करने व प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः ता निर्णय वाद अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा के जरिए ख.सं. 201 व 203 वाके ग्राम कोट की भूमि में प्रार्थी के छठे हिस्से की हद तक प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल नहीं करने एवं विक्रय नहीं करने के लिए अप्रार्थीगण को पाबन्द करना करावें। अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में बताया कि वना पुत्र कानाजी का उक्त आराजी में कोई हक अधिकार व खातेदार नहीं है। उक्त आराजी वेला पुत्र गनाजी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	1/2 व जोधा, जामात पिसरान कालू का 1/2 आधा हिस्सा खातेदारी हक अधिकार का है। वाद ग्रस्त आराजी में प्रार्थी का कोई हक अधिकार नहीं है तथा न ही प्रार्थी ने कभी भी वादग्रस्त आराजी पर खेती की है गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किए जाने योग्य है। पत्रावली का आद्योपांत अध्ययन अवलोकन किया गया। पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है तथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः वादग्रस्त आराजी में ता फैसला मूल वाद यथा स्थिति बनाये रखें एवं प्रार्थी की कृषि भूमि काश्त कारत में दखलंदाजी ना करें। इस प्रकार आवेदन की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसला शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। (signature) सहायक कलेक्टर (S. D. O.) रेवदर	